संख्या : 147/XXXVI (1)/2007–75/07

प्रेषक,

आर0 डी0 भालीवाल,
सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

महाधिवक्ता,
मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय परिसर,
नैनीताल ।

न्याय अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक 02 अप्रैल, 2007

विषय:– मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में राज्य सरकार की ओर से पैरवी/बहस किये जाने हेतु अधिवक्तागण का आबद्ध किया जाना ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम राज्यपाल सम्यक विचारोपरांत मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के समक्ष राज्य सरकार की ओर से पैरवी/बहस करने हेतु पूर्व में आबद्ध अपर महाधिवक्ता, मुख्य स्थाई अधिवक्ता, अपर मुख्य स्थाई अधिवक्ता, स्थाई अधिवक्ता, शासकीय अधिवक्ता, अपर शासकीय अधिवक्ता, उप शासकीय अधिवक्ता, सहायक शासकीय अधिवक्ता एवं वादधारक के रुप में आबद्ध सभी अधिवक्तागण की आबद्धता से सम्बन्धित सभी आदेशों को अधिक्रमित करते हुए निम्नलिखित अधिवक्तागण को मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के समक्ष राज्य की ओर से पैरवी/बहस करने हेतु उनके नाम के सम्मुख अंकित पद पर अग्रिम आदेश तक के लिए तत्काल प्रभाव से आबद्ध करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

क्र. सं.	अधिवक्तागण का नाम	पद नाम
1	2	3
1–	श्री जे0 पी0 जोशी	मुख्य स्थाई अधिवक्ता
2–	श्री खिलपति उपाध्याय	अपर मुख्य स्थाई अधिवक्ता
3–	श्री मोहन चन्द्र तिवारी	अपर मुख्य स्थाई अधिवक्ता
4–	श्री निरंजन कुमार शाह	स्थाई अधिवक्ता
5–	श्री हर्षमणि रतूड़ी	स्थाई अधिवक्ता
6–	श्री गजेन्द्र सिंह रावत	शासकीय अधिवक्ता
7–	श्री अमित भट्ट	अपर शासकीय अधिवक्ता
8–	श्री शेर सिंह अधिकारी	सहायक शासकीय अधिवक्ता
9–	श्रीमती ममता निष्ट	सहायक शासकीय अधिवक्ता
10–	श्री पारेश त्रिपाठी	वादधारक (सिविल)
11–	श्री ललित शर्मा	वादधारक (सिविल)
12–	श्री गोपाल नारायण श्रीवास्तव	वादधारक (सिविल)
13–	श्री सुभाष उपाध्याय	वादधारक (सिविल)
14–	श्री मुश्ताक अली खान	वादधारक (दाण्डिक)
15–	श्री प्रभाकर जोशी	वादधारक (दाण्डिक)

2– उपर्युक्त आबद्धता इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि यह एक व्यावसायिक आवन्टन है, किसी 'सिविल पद' पर नियुक्ति नहीं है । इस आवन्टन को उत्तराखण्ड राज्य द्वारा किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के और बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकता है तथा आबद्ध अधिवक्ता

भी इसे कभी भी समाप्त कर सकते हैं । आबद्ध अधिवक्ता अपनी आबद्धता के दौरान उत्तराखण्ड राज्य के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार के मामले में किसी अन्य व्यक्ति/संस्था की आबद्धता स्वीकार नहीं करेंगे न ही राज्य के विरुद्ध कोई विधिक परामर्श देंगे । आबद्ध अधिवक्ता विधि परामर्शी निर्देशिका के उपबन्धों का कड़ाई से पालन करेंगे । सम्बन्धित अधिवक्ता इस आशय का प्रमाण-पत्र भी महाधिवक्ता उत्तराखण्ड के माध्यम से शासन को प्रस्तुत करेंगे कि उन्हें इन शर्तों पर कोई आपत्ति नहीं है ।

3- उक्त आबद्ध अधिवक्तागण को न्याय विभाग के शासनादेश संख्या 127-एक (6)/छत्तीस(1)/न्या.अनु./2005 दिनांक 12 सितम्बर, 2005 के अनुसार फीस देय होगी ।

4- कृपया उक्त अधिवक्तागण को तदनुसार सूचित करने तथा आबन्धन हेतु उनकी सहमति प्राप्त कर उन्हें तदनुसार कार्य करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(आर0 डी0 पालीवाल)
सचिव ।

संख्या : 147/XXXVI (1)/2007-75/07तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून ।

2- महानिबन्धक, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल ।

3- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।

4- अपर मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन ।

5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल ।

6- मुख्य स्थाई अधिवक्ता/शासकीय अधिवक्ता मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल ।

7- विशेष कार्याधिकारी, मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के सूचनार्थ ।

8- सम्बन्धित अधिवक्तागण, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल ।

9- एन.आई.सी./गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार वर्मा)
अपर सचिव ।